न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 18/16

कन्या बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ढीबरी तहसील मांगरोल जिला बारां ।

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामगोपाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा ।
3. नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल जाति मीणा ।
4. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. गोरधनी बाई बेवा रामस्वरूप ।
   4/2. जानकी लाल पुत्र रामस्वरूप ।
   4/3. राजेश पुत्र रामस्वरूप ।
   4/4. यादराम पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासीगण चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. रामप्रसाद पुत्र भैरूलाल मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. नन्द कुार पुत्र रामप्रसाद मीणा ।
   5/2. द्वारिक्या बाई बेवा रामप्रसाद मीणा ।
6. रामचरण पुत्र भैरूलाल ।
7. पाना बाई पत्नी बजरंग लाल पुत्री भैरूलाल ।
8. रामरतन पुत्र रघुनाथ ।
9. छीतर लाल पुत्र रघुनाथ ।
10. गंगाधर पुत्र रघुनाथ ।
11. कलावती पुत्री रघुनाथ ।
12. शांति बाई पुत्री रघुनाथ ।
13. प्रहलाद पुत्र धन्ना लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    13/1. महावीर पुत्र प्रहलाद
    13/2. पुरूषोत्तम पुत्र प्रहलाद ।
    13/3. अयोध्या बाई पुत्री प्रहलाद ।
    13/4. कमलेश पुत्री प्रहलाद
    13/5. रमेशी बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा निवासीगण बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसील, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी (मृतक) रामरतन ने वाद संख्या 193/97 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया था । इसी प्रकार रामगोपाल ने एक दावा संख्या 111/99 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । इसी तरह एक अन्य वाद संख्या 04/99 रेस्पोडेन्ट कम 01 जगन्नाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 168 में कुल 06 किता 1.37 हैक्टर आराजी एवं ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नम्बर 30 में कुल 07 किता की 8.81 हैक्टर एवं ग्राम खेरूला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 122 की रकबा 2.36 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद में स्थित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 से 6 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को अलग राजस्व रिकॉर्ड में खाता दर्ज किया जावे । ग्राम चींसा तहसील दीगोद की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 11 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी के 1/8 हिस्से की भूमि को अलग से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । इसी प्रकार ग्राम खेरूला तहसील दीगोद की आराजी का वादी व प्रतिवादी कम 1 से 6 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को अलग से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । ग्राम चींसा व ग्राम खेरूला की भूमि में वादी के साथ दर्ज रामनाथी का नाम उनकी मृत्यु हो जाने से हटाया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर वादी का अलग खाता दर्ज कर लगान कायत किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं वादी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं करें ।

3. प्रतिवादी कम 01 लगायत 06 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.03.2007 के द्वारा तीनों वादों का आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.03.2007 से व्यथित होकर वादी जगन्नाथ ने अपील संख्या 52/2007 एवं 53/2007 एवं रामगोपाल ने अपील संख्या 63/2007 एवं 64/2007 न्यायालय हाजा में पेश की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2008 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.10.2017 से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट कन्या बाई प्रतिवादी कम 13 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के अनुसार वाद का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि अपीलान्ट राजीनामा में पक्षकार नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा के अनुसार दावे का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट राजीनामे में पक्षकार नहीं थी बिना अपीलान्ट प्रतिवादी कम 13 के सहमत हुए वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री नहीं हो सकता । अपीलान्ट के हिस्से का निर्णय पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 12 की भूमि के संदर्भ में अनरजिस्टर्ड बेचान के आधार पर पंजीयन शुल्क अदा कर विक्रय पत्र मानने में त्रुटि की है । अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र में केता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं तथा पंजीयन फीस जमा कर लेने मात्र से दस्तावेज पंजीकृत नहीं माना जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा किया है । पक्षकारान ने राजीनामा को सही होना स्वीकार किया है इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय से राजीनामे को तस्दीक किया गया है । तस्दीक करने के उपरान्त निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । प्रतिवादी कम 12 और 13 के पिता भैरूलाल के द्वारा ग्राम चींसा की आराजी में से अपने हिस्से की आराजी का बेचान भैरूलाल पुत्र चन्दा व भैरूलाल के पुत्र रामगोपाल को दिनांक 16.07.1967 को कर दिया था तथा मौके पर कब्जा संभला दिया था । उक्त बेचान के विरूद्ध प्रतिवादी कम 12 व 13 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया । प्रतिवादी कम 12 व 13 द्वारा किया गया बेचान प्रमाणित है, बेचान अपंजीकृत था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क भी अदा किया गया है । अपील सिर्फ प्रतिवादी कम 13 अपीलान्ट ने की है अन्य किसी पक्षकार ने अपील नहीं की है । अपीलान्ट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित हो जाने के उपरान्त अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा पेश किया गया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार वादी जगन्नाथ प्रतिवादी रामरतन, गंगाधर, प्रतिवादी रामगोपाल, नन्दकिशोर, रामचरण, नन्दकुमार उपस्थित हुए हैं जिनकी पहचान उनके अधिवक्तागण ने की है । राजीनामें पर वादी जगन्नाथ प्रतिवादी रामगोपाल, नन्दकिशोर, नन्द कुमार, रामचरण, रामरतन, गंगाधर के ही हस्ताक्षर हैं । शेष पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं । दावा राजीनामा के आधार पर उन्हीं परिस्थितियों में डिक्री किया जा सकता है जब समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इस प्रकरण में समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश नहीं किया है । रामस्वरूप प्रतिवादी कम 03 के कायममुकामान, प्रतिवादी कम 06 पानाबाई, प्रतिवादी कम 08 छीतरलाल, प्रतिवादी कम 10 कलावती, प्रतिवादी कम 11 शांतिबाई, प्रतिवादी कम 12 के कायममुकामान और प्रतिवादी कम 13 के द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के अनुसार दावा डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है । इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि समस्त पक्षकारान के द्वारा उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया जाता है तो राजीनामे के मध्यनजर निर्णय पारित किया जावे अन्यथा सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा